न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–02/2024

प्रदीप कुमार.....वादी

बनाम

बनारसी लाल प्रसाद.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
19.02.2024	वादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। वादी की ओर से आज एक आवेदन दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सम्मन चला गया है तथा प्रतिवादी जानबुझकर प्रस्तुत वाद में उपस्थित नही हो रहा है तथा वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने के लिए आमादा है। वादी द्वारा प्रतिवादी के कुकृत्य प्रयास के कारण दिनांक 06.02.2024 को आदेश 39 नियम 1 एव 02 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत आवेदन पत्र दिया गया तथा साथ ही वादग्रस्त भूमि के वर्तमान यथास्थिति के जाँच पडताल हेतु अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त करने हेतु आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र दिया गया है। वादी के निषेधाज्ञा आवेदन पर कारण–पृच्छा हेतु सम्मन चला गया है। परंतु प्रतिवादी जानबुझकर उपस्थित नही हो रहा है तथा कारण–पृच्छा दाखिल नही कर रहा है तथा वादग्रस्त भूमि पर परिवर्तन कर पक्का निर्माण करने हेतु प्रयासरत है। अतः न्यायहित में वादी के आवेदन दिनांक 06.02.2024 के आलोक में वादग्रस्त भूमि का यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी को आदेशित करने की आवश्यकता है। अतः आदेश देने की कृपा करें। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 12.01.2024 को प्रतिवादी पर नजारज से सम्मन जा चुका है तथा दिनांक 16.02.2024 को वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन के कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु भी नोटिस निर्गत किया जा चुका है परंतु प्रस्तुत वाद में आज दिनांक तक प्रतिवादी उपस्थित नही हुआ है। वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि से संबंधित अदद 04 फोटोग्राफ्स भी दाखिल किये गये है। जिनसे प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु प्रयासरत है। वादग्रस्त भूमि का	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–02/2024</u>

प्रदीप कुमार.....वादी

बनाम

बनारसी लाल प्रसाद.....प्रतिवादी

लगातार 19.02.2024	सरंक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का सरंक्षण न्यायालय करें। वादी की ओर से दिनांक 06.02.2024 को प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा आवेदन भी दाखिल किया गया है, जो अभी लंबित है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 19.02.2024 को स्वीकार करते हुये प्रतिवादी की उपस्थिति एवं उभय पक्षों को निषेधाज्ञा आवेदन की सुनवाई तक यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित थाना को आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें। आगामी दिनांक 11.03.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	